

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 832/2012/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मेहता बोरवेल कम्पनी, सांगोद.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/10/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प-कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 29/वेट/11-12/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.10.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(2) के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बोरवेल का कार्य करता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बोरवेल खुदाई के संविदा कार्यों के तहत रूपये 55,36,111/- की खरीद दर्शाई गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त राशि में खर्च व लाभांश की राशि जोड़ते हुए कुल खरीद रूपये 61,45,083/- अवधारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.2011 को पारित करते हुए रूपये 27,02,525/- की खरीद पाईप, सबमर्सिबल पम्प, केबल, हैण्ड पम्प, हार्डवेयर व एम. एस. शीट का मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया; शेष रूपये 34,42,558/- की खरीद पेनल बॉक्स, सीमेंट, बजरी, गिट्टी व ईटों


लगातार.....2

गया तथा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 24,840/- आरोपित की गई।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 34,42,558/- की खरीद पर 12.5 प्रतिशत की दर से आरोपित कर में से 4 प्रतिशत कर को स्वीकार करते हुए, 8.5 प्रतिशत की दर से आरोपित कर रूपये 2,92,618/-, ब्याज रूपये रूपये 55,358/- एवं धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 24,840/- को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2011 से प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया तथा कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से खरीद अनुमानित की जाकर करारोपण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति भी विधि अनुसार आरोपित की गयी थी, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बोरवेल का कार्य करता है, जिसमें पेनल बॉक्स, सीमेंट, ईट, बजरी व गिट्टी की खरीद नाममात्र की होती है, अधिकतम खरीद पाईप, पम्प, केबल, हैण्डपम्प व एम.एस.शीट की होती है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पेनल बॉक्स, सीमेंट, ईट, बजरी व गिट्टी की खरीद रूपये 34,42,558/- मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय



अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बोरवेल का कार्य करता है, जिसमें पेनल बॉक्स, सीमेंट, ईट, बजरी व गिट्टी का इस्तेमाल केवल बोरवेल के बाहर प्लेटफॉर्म बनाने में ही किया जाता है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल की अवधारित की गई मात्रा न्यायोचित एवं तर्कसंगत नहीं मानी जा सकती। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः इस सीमा तक राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. जहां तक वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान विवरण-प्रपत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2006 से 09.03.2011 तक निम्न प्रकार रहे हैं :-

**58. Penalty for failure to furnish return. -**

Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to furnish" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty,-

**w.e.f. 1.4.2006 to 7.7.2009**

- (i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continuous, but not exceeding in the aggregate twenty percent of the tax so assessed; and




लगातार.....4

(ii) in all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

**w.e.f. 8.7.2009 to 9.3.2011**

(i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(ii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

9. उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपणीय है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया है अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 168 पर व्यवहारी को जारी नोटिस दिनांक 21.7.2010 सुनवाई तिथि 30.8.2010, जो व्यवहारी को दिनांक 13.8.2010 को तामील हुआ है, पृष्ठ 169 पर व्यवहारी को जारी नोटिस दिनांक 01.09.2010 सुनवाई तिथि 28.10.2010, जो व्यवहारी को दिनांक 19.10.2010 को तामील हुआ है; संलग्न हैं। उक्त नोटिसेज का प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कहना विधिसम्मत नहीं है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

10. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 18 वी.एस.टी. 282 कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, सर्विस टैक्स एण्ड कस्टम्स, बेंगलोर बनाम फर्स्ट फ्लाइंग कोरियर्स लिमिटेड में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"Held, allowing the appeal, that the reason assigned for not having paid the tax for the period from April, 1998 to March, 1999 was that there was unrest in the factory which lasted from October, 1998 to May, 1999. The explanation was disbelieved by the assessing





लगातार.....5


authority for the reasons recorded by him that during the period prior to October, 1998 the assessee was required to remit service tax on monthly basis and file ST (3) returns on quarterly basis. **Therefore the assessing authority had rightly imposed penalty in exercise of discretionary power at Rs. 100 per day for the period during which there was no unrest. The finding of fact was affirmed by the appellate authority and the Tribunal committed an error in reducing the quantum of penalty. Therefore the order passed by the Assessing authority was to be restored."**


11. प्रत्यर्थी व्यवहारी वेट अधिनियम की धारा 21 की पालना में विहित समयावधि में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये दायित्वाधीन है। यह निर्विवादित है कि व्यवहारी विहित समयावधि में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को इस बाबत कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 17 वैट रिपोर्टर 217 वाणिज्यिक कर अधिकारी सिरोही बनाम शिवकरनदास मुकुन्दीलाल जैन; (2012) 137 टैक्स अपडेट 103 वाणिज्यिक कर अधिकारी सिरोही बनाम अम्बालाल मोतीजी सिरोही एवं (2012) 34 टैक्स अपडेट 153 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तृतीय, सिरोही बनाम चारमुजा इलेक्ट्रिक एन्टरप्राइजेज, जावाल में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत है।

12. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य

  
( मदन लाल )  
सदस्य